न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 41/19 GCMS NO 2019/00195

राहत हुसैन पुत्र मोहम्मद हुसैन निवासी काजीपाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली

अपीलांट

बनाम

मंजूर अली पुत्र मसूद अली (मृतक)

1. वशीरा पुत्री मंजूर अली पत्नि अली
2. अलकमद पुत्री मंजूर अली पत्नि अहसान
3. खलीला पुत्री मंजूर अली पत्नि हिफजुर्रहमान

1/4. अरफात पुत्री मंजूर अजी पत्नि मोहम्मद अहमद

1/5. मंसूर पुत्र मंजूर अली

1/6. मुशीर पुत्र मंजूर अली

1/7. नेहा पुत्री मंजूर अली

2. अब्दुल अली पुत्र मुजफ्फर अली
3. मोतासिम पुत्र मुजफ्फर अली
4. अत्ती बेवा मुजफ्फर अली
5. अनिका पुत्री मुजफ्फर अली पत्नि निसात अहमद समस्त जाति मुसलमान निवासी काजीपाडा टोडाभीम जिला करौली
6. सलिका पुत्री मुजफ्फर अली पत्नि शायद अली निवासी गंगापुर काजी कालोनी कोलियो के पीछे जिला सवाई माधोपुर
7. सदीया पुत्री मुजफ्फर अली पत्नि मोहम्मद आसिम काजीपाडा टोडाभीम करौली
8. हदीका
9. तहजीबा
10. शीबा पुत्रीयान मुजफ्फर अली काजीपाडा टोडाभीम करौली
11. अनसार अहमद
12. अखलाख अहमद
13. अखियार अहमद
14. अफाक अहमद पिता अबरार अहमद जातियान मुसलमान निवासीयान काजीपाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली
15. अमीन अहमद
16. वकील अहमद पिता अबरार अहमद जातियान मुसलमान निवासीयान काजीपाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली
17. अजीजखातून बेवा अबरार अहमद
18. बडी मुन्नी पत्नि मोहम्मद स्वालेह
19. रहीस अहमद
20. जाहिद अली
21. जाविद अली पिता अनवार अहमद
22. अनीस अहमद पिता अनवार अहमद

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:47:47 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

23. हसीना बेवा शाहिद अली जातियान मुसलमान निवासी काजीपाडा तहसील टोडाभीम करौली
24. नजीरन पत्नि रेहान निवासी बडी उदई गंगापुर जिला सवाईमाधोपुर
25. रहननुमा पत्नि मसरूंद निवासी हिण्डौन सिटी करौली
26. निदा पुत्री शहिद अली नाबालिंग जरिये माता हसीन बेवा शाहिद काजीपाडा टोडाभीम करौली
27. शादाब
28. माहिर
29. शाहीर नाबालिंग पिता शाहिद अली जरिये माता हसीन निवासी काजीपाडा टोडाभीम जिला करौली
30. मुन्नी पत्नि हुसैन निवासी काजीपाडा टोडाभीम जिला करौली
31. शबनम पत्नि अजीज हालवासी इकवाल फातिमा पत्नि अनवार अहमद काजीपाडा टोडाभीम जिला करौली
32. फरजाना पत्नि समीर
33. छोटी गुडिया पत्नि स्तिखार
34. साबिर अली पिता अनवार अहमद काजीपाडा टोडाभीम जिला करौली
35. इकवाल फातिमा पत्नि अनवार अहमद
36. जब्बार अहमद पिता हसन अली
37. हुसैन पुत्र असरार अहमद निवासी काजीपाडा टोडाभीम जिला करौली
38. तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली
39. सब रजिस्ट्रार तहसील टोडाभीम जिला करौली

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 57 / 18 निर्णय दिनांक 5.7.19 न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम)

अभिभाषक अपीला0 श्री राधेश्याम शर्मा
अभिभाषक रैस्पो0 श्री सुरेश चंद शर्मा

दिनांक 21.4.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 5.7.19 न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट / सायल द्वारा एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम टोडाभीम 11 विस्वा के आराजी ख0न0 1342 / 0.05,1343 / 0.42,1344 / 0.26, 1444 / 0.10, 1494 / 0.63, 1539 / 1.57, 1557 / 0.01, 1558 / 1.60, 1559 / 0.06, 1560 / 0.31, 1561 / 0.09,1562 / 0.09,1563 / 0.15, 1606 / 1.71, 1629 / 1.62, 1638 / 0.01, 1639 [illegible] 1641 / 0.57, 1642 / 0.45, 1643 / 0.45, 1868 / 0.58, 1930 / 0.64, 1932 [illegible] / 0.5[illegible] 1934 / 0.23, 1935 / 0.02, 1936 / 0.58,1938 / 0.24, 1941 / 0.24, 1057 / 0.20, 1958 [illegible] 20,1959 / 0.21, 2005 / 0.11 कुल किता 33 कुल रकबा 14.38 है0 मे वर्तमान मे खातेदार [illegible]रसायलान 1 ता 37 एवं उनके वारिस है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:47:47 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

उक्त ख0न0 साबिक ख0न0 673 मिन, 674 मिन, 661 मिन, 131 मिन, 680 मिन, 663 मिन, 662 मिन, 676, 23 मिन, 156,275,150 मिन, 153 मिन, 99 मिन, 106/1, 106/2,112 मिन, 650,672 मिन,679 मिन, 675 मिन,678/1,678/2,1198 से कायम किये गये है। उक्त वर्णित आराजीयात से गैरसायलान 1 ता 37 का कोई वास्ता किसी प्रकार का नही था ना ही उक्त भूमि पर आज कोई वास्ता है। उक्त आराजीयात की फर्जकारी करके गैरसायलान संख्या 1 ता 37 के बुजुर्गो ने राजस्व कर्मचारियो से साज कर उक्त भूमि को अपने नाम करवा लिया। जो गलत है। उक्त आराजीयात मे गैरसायलान का नाम हजफ कर उक्त जमीन की खातेदारी सायलान एवं गैरसायलान न0 38 से 43 के नाम करना आवश्यक एवं न्याय संगत है। उक्त वर्णित आराजीयात जमाने बुर्जगान से सायल के बुर्जगान के नाम नही है। सायल का बुजुर्ग कलुआ उर्फ मीरबुलाकी के दो पुत्र आरिफ हुसैन आबिद हुसैन थे जिनमे आरिफ हुसैन के एक लडकी नजबुलनिशा होने के बाद वंश नही चला एवं नरूल हुसैन इनायत अली का पुत्र था जो लाऔलाद अविवाहित फौत हो गया। फिर निचली पीढी मे आबिद हुसैन के मोहम्मद नवी ,जाहिद हुसैन लाऔलाद अविवाहित फौत हो गये। जिसका नाम राजस्व रिकार्ड मे नही बना क्योकि वे जवानी मे ही फौत हो गये। परन्तु वाहिद हुसैन जो पाकिस्तान चला गया उनके 1/4 हिस्से तक का कब्जा कस्टोडियम का नोट राजस्व कर्मचारियो ने खसरा गिरदावरी सम्वत 2009–2012 की जमाबंदी सम्वत 2013–16 मे सायल के पिता मोहम्मद हुसैन का नाम बखुबी दर्ज है अर्थात सायल के पिता उक्त आराजी मे खातेदार है। जो कि पुराने रिकार्ड से साबित है। साजीसाना रूप से मोहम्मद हुसैन के लडके मुबारिक हुसैन एवं किफायत अली बहिस्सा बराबर 1/4 के रूप मे दर्ज हो गया। परन्तु सायल राहत हुसैन का मुहम्मद हुसैन की असल औलाद होने के बाद भी नाम नही आया। सायल के पिता मोहम्मद हुसैन वाहिद हुसैन एवं नूरूल हुसैन का नाम जमाबंदी सम्वत 2013–16 मे है। जबकि सायल सबसे छोटे होने के कारण नाम जमाबंदी मे नही आया। इस प्रकार उक्त आराजी मे 1/4 हिस्से की खातेदारी सायल राहत हुसैन एवं हिस्सा 1/4 की खातेदारी रजिया पुत्री मोहम्मद हुसैन करवाने के अधिकारी है। और आराजी पर काबिज एवं दखिल है। सम्वत 2009–12 के रिकार्ड मे खातेदारी मोहम्मद हुसैन ,वाहिद हुसैन नूर हुसैन के नाम थी। इस आधार पर उनके वारिसान को खातेदारी मिलनी चाहिए थी। वाहिद हुसैन का 1/4 हिस्सा ही कस्टोडियम मे था परन्तु गैरसायल न0 1 ता 37 के बुजुर्ग जो कि बडे शातिर थे झूठी उजरदारी कर अपने नाम खातेदारी करवा ली। जबकि ये लोग कुनबे और खानदान के भी नही थे। इस प्रकार गैरसायलान का नाम हजफ कर 1/4 हिस्से की खातेदारी सायल के नाम 1/4 हिस्से की खातेदारी रजिया पुत्री मोहम्मद हुसैन के नाम और 1/4 हिस्से की खातेदारी जाकिर हुसैन, शाकिर हुसैन ,नासिर हुसै ,अफरोज ,मुस्तफशिरा के नाम होनी चाहिए। मुबारिक हुसैन नाऔलाद फौत होने से उनका हिस्सा मोहम्मद नवी एवं जाहिद हुसैन को मिलना चाहिए । नीचे की पीढी मे मुबारिक हुसैन फौत होने के कारण सम्पूर्ण आराजी 1/4 हिस्से के किफायत अली , 1/4 हिस्से के राहत हुसैन, 1/4 हिस्से रजिया 1/4 हिस्से का वाहिद हुसैन था। जो पाकिस्तान चले गये। उनका हिस्सा गैरसायल जाकिर हुसैन ,शाकिर हुसैन ,नासिर हुसैन

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:47:47 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

,अफरोज, मुस्तफशिरा के नाम होनी चाहिए। गैर सालयान के बुजुर्ग मकसूद अली और हसन अली ने उजरदाराना का धासा देकर वास्तविक तथ्यो को नही आने दिया । सायल के बडे बावा मीन बुलाकी के वारिसो को रिकार्ड मे नही आने दिया । गलत जानकारी देकर नामा0 दिनांक 21.6.55 से गलत खातेदारी दर्ज करवाली है। जो निरस्त करना आवश्यक है। 21.6.55 का रिकार्ड गिरदावरी मे मौजूद है। गैरसायलान 1 ता 37 खातेदारी का फायदा उठाकर सायल को बेदखल करना चाहते है। इस प्रकार सायल के कब्जे काश्त की भूमि ख0न0 1629,1638,1639,1641,1642,1643 मे गैरसायलान मदालखत व मजाहमत नही करे। ग्राम टोडाभीम 11 विस्वा के आराजी ख0न0 आराजी ख0न0 1342/0.05,1343/0.42,1344/0.26, 1444/0.10, 1494/0.63, 1539/1.57, 1557/0.01, 1558/1.60, 1559/0.06, 1560/0.31, 1561/0.09,1562/0.09,1563/0.15, 1606/1.71, 1629/1.62, 1638/0.01, 1639/0.46, 1641/0.57, 1642/0.45, 1643/0.45, 1868/0.58, 1930/0.64, 1932/0.01, 1933/0.51, 1934/0.23, 1935/0.02, 1936/0.58,1938/0.24, 1941/0.24, 1057/0.20, 1958/0. 20,1959/0.21, 2005/0.11 कुल किता 33 कुल रकबा 14.38 है0 मे सायल के कब्जे काश्त की भूमि हिस्सा 1/4 मे मजाहमत मदालखत व सायल को बेदखल नही करने हेतु गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे तथा मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जाने के आदेश प्रदान किये जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से सायल/अपीलांट द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायल/अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/सायल द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्याायलय द्वारा पारित निर्णय रूयेदाद मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। आराजी ख0न0 1342/0.05,1343/0.42,1344/0.26, 1444/0.10, 1494/0.63, 1539/1.57, 1557/0.01, 1558/1.60, 1559/0.06, 1560/0.31, 1561/0.09,1562/0.09,1563/0.15, 1606/1.71, 1629/1.62, 1638/0.01 गैर मुमकिन चाह, 1639/0.46, 1641/0.57, 1642/0.45, 1643/0.45, 1868/0.58, 1930/0.64, 1932/0.01 गैर मुमकिन बोरिंग, 1933/0.51, 1934/0.23, 1935/0.02 गैर मुमकिन चाह, 1936/0. 58,1938/0.24, 1941/0.24, 1057/0.20, 1958/0.20,1959/0.21, 2005/0.11 कुल किता 33 कुल रकबा 14.38 है0 आराजी ग्राम टोडाभीम 11 विस्वा टोडाभीम जिला करौली मे स्थित है मे वर्तमान मे खातेदार गैरसायलान 1 ता 37 एवं उनके वारिस है। उक्त ख0न0 साबिक ख0न0 673 मिन, 674 मिन, 661 मिन, 131 मिन, 680 [illegible] मिन, 662 मिन, 676, 23 मिन, 156,275,150 मिन, 153 मिन, 99 मिन, [illegible] मिन, 650,672 मिन,679 मिन, 675 मिन,678/1,678/2,1198 से कायम किये गये है। [illegible] अपीलांट अपने पूर्वजो के समय से

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:47:47 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

ही काबिज काश्त होकर लाभान्वित होता चला आ रहा है। इस बात पर गौर किये बिना ही कानूनी प्रावधानो के विपरीत जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध तरीके से खारिज किया है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है। मुताबिक मद न0 2 प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी से गैरसायलान 1 ता 37 का कोई वास्ता किसी भी प्रकार का नही था न उक्त जमीन पर आज कोई वास्ता गैरसायलान का है। उक्त जमीन को फर्जकारी करके गैरसायलान न0 1 ता 37 के बुजुर्गो मे रेवेन्यू कर्मचारियो से साज कर उक्त जमीन को अपने नाम बदलवा लिया जो गलत है। उक्त जमीन मे गेरसायलान न0 1 ता 37 का नाम हजफ कर उक्त जमीन की खातेदारी सायल एवं गैरसायलान न0 38 से 43 के नाम कराना आवश्यक है एवं न्याय संगत है। सजरा खानदान से स्पष्ट है कि वाद पत्र की आराजीयात उसकी पैतृक आराजी है तथा राजस्व रिकार्ड मे साजकर इन्द्राज किया गया इसका साक्ष्य उपरान्त वाद पत्र मे तय किया जावेगा तथा सरसरी तौर पर वर्तमान इन्द्राज को सही मानकर उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध तरीके से पारित किया है जो निरस्त योग्य है। मुताबिक न0 2 मे वर्णित आराजी जमाने बुजुर्गान से सायल के बुजुर्गान के नाम रही है । सायल का बुजुर्ग कलुआ उर्फ मीन बुलाकी के लडके आरिफ हुसैन, आबिद हुसैन थे जिसमे आरिफ हुसैन का 1 लडकी नजबुलनिशा के बाद वंश नही चला एवं नुरूल हुसैन इनायत अली का पुत्र था जो ना औलाद अविवाहित फौत हो गया। फिर निचली पीढी मे भी आबिद हुसैन के मोहम्मद नवी जाहिद हुसैन ना औलाद अविवाहित फौत हो गये। जिनका नाम रेवेन्यू रिकार्ड मे नही रहा क्योकि वह जवानी मे ही खत्म हो गये। परन्तु वाहिद हुसैन जो कि पाकिस्तान चले गये । उनके 1/4 हिस्से तक का कब्जा कस्टोडियम का नोट रेवेन्यू ने खसरा गिरदावरी सम्वत 2009–12 एवं जमाबंदी सम्वत 2013 से 2016 मे सायल के पिता मोहम्मद हुसैन का नाम बखूबी दर्ज है। यानि कि सायल के पिता उक्त आराजी मे खातेदार है। जो कि पुराने रिकार्ड से साबित है। इस प्रकार सम्वत 2009 से 12 मे दर्ज किया और रेवेन्यू रिकार्ड मे साजिसाना हुसैन एवं किफायत अली जिनका नाम रेवेन्यू रिकार्ड मे हिस्सा बराबर 1/4 प्रत्येक के रूप मे दर्ज हो गया। परन्तु सायल राहत हुसैन ,मोहम्मद हुसैन की असल औलाद होने के बाद नाम नही आया। सायल के पिता मोहम्मद हुसैन वाहिद हुसैन एवं नुरूल हुसैन का नाम जमाबंदी सम्वत 2013 से 2016 मे दर्ज है। यानि की उक्त नाम सायल के पिता एवं चाचा ताउओ के है। इस प्रकार विवादित आराजी जमाने बुजुर्गान से सायल के बुर्जगान से सायल के बुजुर्गो की रही है। जबकि सायल सबसे छोटे होने के कारण जमाबंदी रिकार्ड मे नाम नही आया। इस प्रकार उक्त आराजी मे 1/4 हिस्से की खातेदारी सायल राहत हुसैन 1/4 हिस्से की दावें की प्रतिवादी न0 43 रजिया पुत्री मोहम्मद हुसैन करवाने की मुस्ताहकर हे। राहत हुसैन मोहम्मद हुसैन का तीसरे नम्बर का लडका है। जो कि मौजूदा आराजी पर काबिज एवं दखिल है। इस बात पर गौर किये बिना अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध तरीके से पारित किया है। जो निरस्त [illegible] उक्त आराजी के रिकार्ड के संबंध मे उक्त आराजी सम्वत 2009 से 2012 के रिकार्ड [illegible] हमारे बुर्जगान मिल्की काजी,मोहम्मद हुसैन जो कि हमारे जो हम सायल के पिता थे। वाहिद हुसैन [illegible] चले गये एवं आरिफ हुसैन नुरूल हुसैन रिश्ते मे भाई था। जो नाऔलाद अविवाहित फौत होने के कारण रेवेन्यू रिकार्ड मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:47:47 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

नुरूल हुसैन का नाम रेवेन्यू रिकार्ड मे आया। इस प्रकार सम्वत 2009 से 2012 तक मे खातेदारी मे उक्त जमीन मे मात्र मोहम्मद हुसैन एवं वाहिद हुसैन, नुरूल हुसैन का नाम ही रहा था। इसके आधार पर उक्त जमीन इनके वारिसो को ही मिलनी चाहिए थी। मात्र वाहिद हुसैन का हिस्सा 1/4 ही कस्टोडियम मे था। परन्तु गैरसायलान न0 1 ता 37 के बुजुर्ग बहुत ही शातिर थे जिनका उक्त जमीन से कोई वास्ता नही था। परन्तु हसन अली और मकसूद अली जो कि गैरसायलान न0 1 ता 37 के बुजुर्ग थे उन्होने झूठी उजदारी करके स्वयं झूठा वारिस बनकर खातेदारी अपने नाम करा ली। खसरा गिरदावरी मे हिस्सा भी सही अंकन नही है। जबकि वाहिद हुसैन का 1/4 हिस्सा रहा है। जबकि ये लोग सायल के कुनबे एवं खानदान के लोग नही रहे है। फर्जकारी तरीके से साबिक ख0न0 99,106,112,650,672,679,675,678,1198 मे अपने नाम खातेदारी करवा ली। और फर्जकारी तरीके से खातेदार बन गये जवकि उनका उक्त जमीन से कोई वास्ता किसी प्रकार का नही रहा है। इस कारण फर्जकारी से करवाई गई जमीन अपने नाम की खातेदारी को मंसुख फरमाकर उक्त जमीन की खातेदारी से गैरसायलान का नाम हजफ कर 1/4 हिस्से की खातेदारी सायल के नाम फरमाई जावे एवं 1/4 दावे की ,प्रतिवादी न0 43 के नाम फरमाई जावे तथा 1/4 हिस्से की खातेदारी दावे के प्रतिवादी न0 38 से 42 के नाम फरमाई जावे। क्योकि मुबारिक हुसैन का 1/4 हिस्सा सायल एवं दावे के प्रतिवादी न0 38 से 42 व 43 को मिलना लाजमी था। क्योकि ये नाऔलाद फौत हुए थे एवं मोहम्मद नवी एवं जाहिद हुसैन का हिस्सा मोहम्मद का मिलना लाजमी था। इस प्रकार नीचे की पीढी मे मुबारिक हुसैन फौत होने के कारण सम्पूर्ण आराजी मे 1/4 हिस्से के किफायत अली , 1/4 हिस्से के राहत हुसैन , 1/4 रजिया, 1/4 का हिस्सा वाहिद हुसैन का था जो पाकिस्तान चले गये। एवं 1/4 हिस्से के दावे के प्रतिवादी न0 38 से 42 सम्पूर्ण आराजी मे खातेदार होने चाहिए। एवं सायल 1/4 हिस्से की खातेदारी प्राप्त करने के मुस्ताहक है। इस बात पर गौर किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। उक्त आराजी मे मकसूद अली एवं हसन अली ने उज्रदारान को झांसा देकर वास्तविक तथ्यो को सामने नही आने दिया। सायल के बडे बाबा मीर बुलाकी के लीगल वारिसो को नम्बर पर नही आने दिया। क्योकि आबिद हुसैन सीधे साधे व्यक्ति थे एवं राहत हुसैन एवं रजिया ,किफायत हुसैन उर्फ किफायत अली ,मुबारिक हुसैन के छोटे भाई बहिन थे। इस कारण इनका नाम जमाबंदी हाल रिकार्ड मे नही आने दिया एवं मकसूद अली एवं हसन अली ने हिस्सेदारी को तोड मरोडकर गलत जानकारी देकर नामा0 दिनाक 21.6.55 खातेदारी को गलत आदेश करवाये है। जिनको निरस्त करना आवश्यक एवं न्याय संगत है। गलत ढंग से उज्रदारी करके गलत साक्ष्य पेश कर प्रशासन की ऑखो मे धूल झोककर फर्जकारी करके जमीन को हडपने की गरज से कार्यवाही की वह गलत है। दिनांक 21.6.55 का कस्टोडियम का रिकार्ड पत्रावली मे संलग्न है। उक्त समस्त आराजी पर हिस्सा 1/4, + 1/4 यानि 1/4 [illegible] काश्त है। सायल फसल काश्त करता चला आ रहा है। परन्तु गैरसायलान 1 [illegible] 37 [illegible]नी खातेदारी का फायदा उठाकर सायल की जमीन से बेदखल करना [illegible] की प्रतीक है। इस प्रकार हमारे बुजुर्गो की की आराजी मे सायल पूर्णरूप से 1/4 हिस्से की खातेदारी अपने नाम कराने

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:47:47 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

के मुस्तहक है। क्योकि गैरसायलान न0 1 ता 37 सालय के खानदान कुनबे के लोग नही है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्व तरीके से खारिज किया है। जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड एवं सजरा पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजी साक्ष्यो की कोई विवेचना अपने निर्णय मे नही की है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित नजीर मे तो यहॉ तक कहा गया कि यदि किसी खातेदार का प्राईमाफेसी केस उसके पक्ष मे साबित भी नही है फिर भी मुकदमे की विविधता नही बडे तो न्यायालयो को वाद पत्र के निर्णय तक रहन बय हस्तान्तरण करने के लिए पाबन्द किया जाना चाहिए। क्योकि यदि दौराने दावा वादग्रस्त आराजी को रहन बय हस्तान्तरण कर दिया गया तो उसका वाद पेश करने का मकसद ही समाप्त हो जावेगा। इन बातो पर गौर किये बिना ही सरसरी तौर पर पत्रावली का अवलोकन कर विधि विरूद्व आदेश अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत टी आई प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पो0 ने अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट का यह कथन गलत है कि विवादित आराजीयात अपीलांट के बुजुर्गान के नाम रही है बल्कि सत्यता यह है कि विवादित आराजीयात रेस्पो0 के बुजुर्गो के नाम रही है तथा कब्जा काश्त भी रेस्पो0 के बुजुर्गान का रहा है। बुजुर्गो के फौत होने के बाद विरासत मे उक्त आराजी रेस्पो0/गैरसायलान को प्राप्त हुई है। जिस पर बुजुर्गान के जमाने से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजी अपीलांट/सायल के बुजुर्ग कलुआ उर्फ मीर बुलाकी के नाम नही रही है। अपीलांट/सायल का उक्त आराजी से किसी प्रकार का कोई संबंध वास्ता नही रहा है और ना ही आज है। उक्त आराजी पूर्व में श्योपाल वगै0 थोक पटटीदार के नाम रही है तथा मिल्कीयत काजी मोहम्मद हुसैन ,वाहिद हुसैन व नुरूल हुसैन के नाम थी। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन के आदेश कमांक 864 दिनांक 31.7.59 के अनुसार नामा0 संख्या 67 व 68 रेस्पो/गैरसायलान संख्या 1 ता 37 के बुजुर्गान मकसूद अली पुत्र औसाफ अपील व हसन अली पुत्र शहजाद अली के नाम आई। रेस्पो/गैरसायलान बजमाने बुजुर्गान मकसूद ,हसन अली काबिज एवं काश्त है। अपीलांट/सायल द्वारा प्रार्थना पत्र साजियाना तरीके से अधिनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया था। रेस्पो0/गेरसायलान का उक्त आराजी पर करीब 63 वर्षो से कब्जा काश्त है। इस प्रकार अपीलांट का भूमि पर कब्जा होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। अपीलांट द्वारा आराजीयात को कस्टोडियम की भूमि बताकर मनगढन्त तथ्य अंकित किये है। उक्त आराजीयात जरिये नामान्तरण से रेस्पो/गैरसायलान को प्राप्त हुई है। इसके पश्चात रेस्पो/गैरसायलान के बुजुर्ग मकसूद अली व हसन अली के फौत होने के पश्चात उक्त भूमि गैरसायलान/रेस्पो0 के नाम दर्ज हुई है। उप जिला कलेक्टर हिण्डौन द्वारा तस्दीक किये गये नामा0 की अपील अपीलांट द्वारा सक्षम न्यायालय ने नही की गई है। उक्त नामा0 का जमाबंदी सम्वत 2013 से 2016 मे अमल हो चुका है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया के केस [illegible] गैरसायलान के पक्ष मे बखूबी साबित होने एवं सुविधा का संतुलन भी रेस्पो/[illegible] तथा रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द [illegible] कारण ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:47:47 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

सायल/अपीलांट का प्रार्थना पत्र विधिक रूप से खारिज किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि नामान्तरण संख्या 67 दिनांक 9.8.59 के द्वारा भूमि साबिक ख0न0 673 रकबा 2 बीघा 9 विस्वा, 674 रकबा 3 विस्वा, 675 रकबा 2 बीघा 2 विस्वा , 680 रकबा 3 बीघा 19 विस्वा एवं नामा0 संख्या 68 दिनांक 9.8.59 से भूमि ख0न0 99 रकबा 7 बीघा 13 विस्वा, 106/1 रकबा 3 बीघा 4 विस्वा, 112 रकबा 9 बीघा 8 विस्वा, 650 रकबा 7 विस्वा, 672 रकबा 5 विस्वा, 678/2 रकबा 2 विस्वा मकसूद अली पुत्र औसाफ अली एवं हसन अली पुत्र शहजाद अली जाति मुसलमान के नाम स्वीकार हुए है। उक्त नामा0 को जमाबंदी सम्वत 2013–16 मे अमल दरामद हो चुका है। अपीलांट द्वारा उक्त नामा0 की कोई अपील प्रस्तुत करने का कोई दस्तावेज या कथन नही किया है। जमाबंदी सम्वत 2013 से 2016 मे आराजीयात रेस्पो/गैरसायलान के बुजुर्गान के नाम दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2072–75 मे भूमि रेस्पो/गैरसायलान के नाम दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट द्वारा अपने कब्जे के संबंध मे किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे विवादित आराजीयात पर उनका कब्जा सिद्व हो सके। इस प्रकार पृथम दृष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष मे सिद्व नही होता है एवं कब्जे के अभाव मे अपीलांट को किसी प्रकार की अपूर्णनीय क्षति होने की कोई संभावना नही है। किसी रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानून के खिलाफ है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ का पूर्ण रूप से विवेचन किये जाने के एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड रेस्पो/गैरसायलान के नाम दर्ज होने के कारण ही सायल/अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया गया है। जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर टोडाभीम के प्रकरण संख्या 57/18 मे पारित निर्णय दिनांक 5.7.19 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21.4.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:47:47 IST
Reason: SelfAttested